"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 7-06/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. पाण्डेय, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 27-10-2014 से दिनांक 07-11-2014 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डेय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 12-03/2014/20-3.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 क्रमांक 23 सन् 1965 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्डों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है :—

1. **उपखण्ड (एक) के अन्तर्गत - मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्यों/प्रधानाध्याप क :—**

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्री दिलीप कुमार केशरवानी, प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. मानाबस्ती, रायपुर, जिला-रायपुर
2.	श्री के. आर. कैवर्त्य, प्राचार्य	गुरु घासीदास शा.बा.उ.मा.वि., कसडोल, जिला बलौदाबाजार
3.	डॉ. आर. एस. चौहान, प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. लखौली, वि.ख.-आरंग, जिला-राय र

2. **उपखण्ड (दो) के अन्तर्गत - अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालयों के एक चार्य :—**

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्रीमती छवि मंडल, प्राचार्य	बी. एड. महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगु

3. **उपखण्ड (तीन) के अन्तर्गत - मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छः अध्यापक जिनमें कम कम एक महिला :—**

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्री अनिरुद्ध द्विवेदी, शिक्षक	शा.हाई स्कूल जरहागांव, वि.ख.-तखतपुर, जिल मुंगेली
2.	श्रीमती मधुलिका तिवारी, व्याख्याता	उ.मा.वि. खम्हरिया, जिला-दुर्ग
3.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, व्याख्याता	स्वामी करपात्रीजी शास्त्री शा.उ.मा.वि. कवर्धा
4.	श्री ओंकार सिंह, शिक्षक	शा.उ.मा.वि. राजपुर, जिला-सरगुजा
5.	श्री सुधीर गौतम, व्याख्याता	शा.उ.मा.वि. खल्लारी, वि.ख.-डोण्डी, जिला- ोद
6.	श्री प्रकाश यादव, प्राचार्य	स.शि.मं. डोंगरगढ़, वि.ख.-डोंगरगढ़, जिला- ांदगांव

4. **उपखण्ड चार के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व क ाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थायें चलाते हों :—**

क्रमांक	नाम	पता
1.	**श्री बी. आर. शर्मा, संचालक**	रामकृष्ण शिक्षा संस्थान सुन्दरनगर, रायपुर
2.	**श्री प्रफुल्ल शर्मा, प्रबंधक**	सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय, कोन ला-बिलासपुर
3.	**श्री दिलीप कुमार साहू, संचालक**	नवसृजन बहुआयामी शिक्षण एवं कल्याण संस्थ ाटन, जिला-दुर्ग.

5. उपखण्ड पांच के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ विधान सभा के पांच सदस्य :—

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्री देवजी भाई पटेल, विधायक	वि.स. क्षेत्र-धरसींवा
2.	श्री तोखन साहू, विधायक	वि.स. क्षेत्र-लोरमी
3.	श्रीमती चंपादेवी पावले, विधायक	वि.स. क्षेत्र-भरतपुर-सोनहत
4.	श्री राजमहंत सावला राम डाहरे, विधायक	वि.स. क्षेत्र-अहिवारा
5.	श्री भोजराज नाग, विधायक	वि.स. क्षेत्र-अंतागढ़

6. उपखण्ड छः के अन्तर्गत ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हुआ हो:—

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्री जगदीश सिंह मौर्य, व्याख्याता	शा.उ.मा.वि. लोहंडीगुड़ा, जिला-बस्तर
2.	श्री उमेश पानीग्रही, प्रधानपाठक	माध्यमिक शाला सुधापाल, जिला-बस्तर

उपरोक्त नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 03 वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/एफ 7-68/2008/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत भारत एल्यूमिनियम कम्पनी कोरबा के 1200 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना के लिए इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 04-11-2008 एवं 23-04-2014 द्वारा कोरबा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित कर सूचना का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे :—

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

ग्राम का नाम	ख. क्र.	रकबा (एकड़ में)	ख. क्र.	रकबा (एकड़ में)	ख. क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण का प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रिसदा	199/1-2	0.06	203	0.05	205/1-2	0.41	वृक्षारोपण प्रस्तावित	वर्तमान मार्ग
	215/1 से 7	0.75	245	0.09	246/1-2	0.09	आवासीय वर्तमान मार्ग,	छोड़कर
	292/1 से 5	2.20	481/1-2	0.58	638	0.06	वाणिज्यिक, वनस्पति,	औद्योगिक
	215/4	0.61	471/8	0.50	180/2-3, 179/2-3	0.31	उद्यान, कृषि, प्रस्तावित मार्ग एवं वर्तमान	
	232/1 से 5	1.44	236	0.54	256/2शा., 255/2	0.62	आवासीय	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	259/1 से 4	1.04	283/1 से 3	0.28	485/2	0.52		
	223/3	0.09	223/4	0.53	224/2	0.58		
	225	0.32	280/2	0.41	290/1	1.86		
	292/1	0.60	293/1	1.00	292/4	0.38		
	115/1 से 3	0.58	121	0.32	258	0.88		
	260	0.82	291/1 से 2	0.83	298/1-2	2.00		
	325	0.34	483/2	0.63	488/3	0.65		
	111/3	0.12	290/2	0.13	471/7	0.34		
	639/2	0.06	185/1 से 8	1.40	186	0.05		
	188/1-2	0.24	190/2	0.40	191/2	0.25		
	192/1	0.12	194/2-4	0.06	270/1	0.26		
	340/2	0.26	270/3	1.38	270/4	0.06		
	272/2	0.16	321/3	0.10	340/10	0.20		
	270/2	0.80	340/5	0.10	340/8	0.60		
	193/2-3	0.77	266	0.32	271	1.22		
	336/1 से 3	1.53	337	0.35	235/1	0.03		
	235/2	0.02	267/2	0.17	268/1	0.24		
	268/3	0.47	270/5	0.43	270/6	0.14		
	272/5	0.25	272/6	0.50	327/1क, ख	0.58		
	329/4	0.60	329/5	0.02	327/2	0.50		
	328	0.99	330	0.02	321/4	0.42		
	321/7ग	0.42	321/8	0.70	323/1	0.05		
	323/2	0.12	323/3	0.10	324/1	0.43		
	326/2	0.27	326/4	0.24	329/1	0.76		
	329/2	0.04	339/3	0.30	165/3	0.08		
	321/2	0.02	272/18	0.14	178	0.03		
	200	0.01	204	0.03	240	0.05		
	243	0.11	244	0.06	176/1	0.23		
	341	0.43	113	0.03	114	0.28		
	289	0.61	112/1	0.52	218	0.07		
	184	0.05	342/4	0.44	332	0.42		
	334	0.07	331	0.80	206	0.49		

भूमि के कुल 111 खसरे एवं रकबा 48.05 एकड़

2. प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव प्राप्त किए गए. आपत्तिकर्ता की छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम नि[illegible] अधिनियम, 1973 की धारा 23(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 05-1-2009 को व्यक्तिगत सुनवाई की गई. आपत्तिकर्ता की आपत्तियों [illegible] परीक्षण करने पर पाया कि प्रकरण मात्र भू-उपयोग में उपांतरण का है. अवैध निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, [illegible]73 की धारा 36 एवं 37 तथा नगर पालिक अधिनियम में यथोचित प्रावधान है जिसमें दण्ड/शास्ति का प्रावधान अतः आपत्ति/सुझावों को अमा[illegible] किया जाता है.

3. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा [illegible]) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजन[illegible]का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम र[illegible] तथा आदेशानुसार,
रेजी[illegible] **टोप्पो,** संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2014

क्रमांक 1568 (a)/1010/2006/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 की धारा 13 में प्रावधानित उपबंधों के अधीन विद्युत निरीक्षकालय के द्वारा विद्युत की खपत के आंकलन तथा उस पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान में उत्पन्न विवाद के मामले में प्रस्तुत की गई अपील पर सुनवाई एवं समाधानकारक निर्णय जारी करने हेतु श्री बी. आनंद बाबू, सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग को आगामी आदेश तक अधिकृत करता है.

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक/7095/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-कोदवा, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.526 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124/1	0.053
124/2	0.085
126	0.089
124/6	0.081
124/7	0.032
124/8	0.024
133/1, 133/2	0.162
योग 8	0.526

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोदवा बुढ़ा सागर मार्ग में गण्डई नाला पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/4672/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-गरियाबंद
   (ख) तहसील-देवभोग
   (ग) नगर/ग्राम-सुकलीभाठा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	62	0.08
	61	0.07
	60	0.06
	59	0.03
	343	0.08
	342/1	0.03
	342/2	0.08
	212/1	0.02
	215	0.03
	216	0.04
योग	10	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बरही व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/4673/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 08/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-गरियाबंद
   (ख) तहसील-देवभोग
   (ग) नगर/ग्राम-बरही
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	362	0.10
	361	0.06
	360	0.07
	359	0.20
	354/5	0.02
योग	5	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बरही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/4674/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 03/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-गरियाबंद
   (ख) तहसील-देवभोग
   (ग) नगर/ग्राम-दिवानमुड़ा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149	0.13
148	0.05
150	0.14
151/2	0.20
154/2	0.04
155	0.31

	(1)	(2)
	160/1	0.82
	159	0.01
	162/3	0.01
	163	0.01
	97/1	0.12
	97/2	0.04
	96	0.12
	50	0.02
	48	0.20
	601	0.11
	609	0.05
	47	0.07
	610	0.10
	632	0.01
	631	0.11
	630	0.10
	607	0.08
	616	0.03
	602	0.15
	608	0.05
योग	26	3.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बरही व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/4675/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-सुपेबेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.67 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	144	0.05
	145	0.01
	146	0.01
	148	0.04
	156	0.16
	161	0.05
	162	0.09
	163/1	0.06
	163/2	0.12
योग	9	0.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-तेलनदी इननडेशन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/4676/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-मोटरापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.06
101	0.05
55	0.11

	(1)	(2)
	98	0.02
	96	0.04
	95	0.04
	85	0.04
	102	0.09
	130	0.09
	132	0.05
	133	0.04
	171/1	0.02
योग	12	0.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-तेलनदी इननडेशन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/4677/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-निष्टीगुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	116	0.08
	105/8	0.08
	103	0.16
योग	3	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-तेलनदी इननडेशन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/4678/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-मैनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छैला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29	0.20
27	0.60
56	0.01
60	0.48
26	0.06
25	0.10
61	0.12
24	0.32
22/1	0.20
62	0.04
63/4	0.12
58	0.01
57	0.20

(1)	(2)
70	0.40
69	0.18
174	0.28
71	0.10
72	0.02
73	0.01
175	0.04
169	0.24
165	0.18
157	0.03
245	0.14
247	0.25
248	0.12
211	0.22
210/1	0.06
210/2	0.09
314	0.02
308	0.24
309	0.01
307	0.34
304	0.38
302	0.52
298	0.14
283	0.02
282	0.31
280	0.60
281	0.15
277	0.01
275	0.50
योग 42	8.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-छैला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक/4679/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-मैनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उरमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
158	0.07
157	0.08
156	0.06
159	0.01
155	0.34
153/2	0.16
165	0.03
153/1	0.20
200	0.28
198	0.01
216	0.01
228	0.01
217	0.35
218	0.07
219	0.09
221	0.10
220	0.16
291	0.08
222	0.08
224	0.28
225/626	0.02
225	0.26
227	0.01
231	0.06
230	0.18
229	0.05
योग 26	3.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-उरमाल जलप्लावन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, जिला कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्रमांक/9802/अधीक्षक/2014.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक-बी-1-1/2014/एक/4 रायपुर, दिनांक 15-09-2014 द्वारा श्रीमति हिना अनिमेष नेताम (रा.प्र.से., आर. आर. 2002, प्रवर श्रेणी) को अपर कलेक्टर कोरबा के पद पर पदस्थ किये जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक-5971/अधीक्षक/2014 कोरबा, दिनांक 05-07-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमति हिना अनिमेष नेताम, अपर कलेक्टर को निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है :—

1. अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी-कोरबा.

2. कोरबा जिले के अनुविभाग कटघोरा के अन्तर्गत (शहरी क्षेत्र एवं नगरपालिका निगम क्षेत्र को छोड़कर) तहसील कटघोरा एवं पाली तथा अनुविभाग पोड़ी उपरोड़ा के अन्तर्गत तहसील पोड़ी उपरोड़ा के (भूमि विक्रय अनुमति एवं वृक्षों का कटाई तथा पंचायत राज अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण.

3. अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम-जिला कार्यालय कोरबा.

4. **नोडल अधिकारी-**
   - वित्त एवं स्थापना का सम्पूर्ण प्रभार.
     अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश वेतनवृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि के आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम के स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
   - लायसेंस शाखा-अंतिम निराकरण हेतु नस्ती कलेक्टर महोदया के समक्ष प्रस्तुत होंगे.
   - पासपोर्ट.
   - जिले के पुनर्वास/भू-अर्जन/भू-बंटन-अंतिम निराकरण हेतु नस्ती कलेक्टर महोदया के समक्ष प्रस्तुत होंगे.
   - अपर कलेक्टर (नजूल)-अंतिम निराकरण हेतु नस्ती कलेक्टर महोदया के समक्ष प्रस्तुत होंगे.
   - सांख्य लिपिक शाखा.
   - राजस्व आपदा प्रबंधन एवं राहत शाखा.
   - सहायक अधीक्षक सामान्य/पुरातत्व/पर्यटन/आर.बी.सी. के प्रकरण, सोलेशियम फण्ड/संजीव .
   - प्रभारी अधिकारी सामान्य निर्वाचन.
   - सभी विभागों के रिक्त पदों की नियुक्ति के संबंध में.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

री बाबा साहेब कंगाले,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3925.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-87भा.अधि./2013-14/4452 रायपुर, दिनांक 01-10-2013 द्वारा श्री डी. एन. कश्यप, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 7127 दिनांक 27-09-2014 द्वारा श्री पी. एस. ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री डी. एन. कश्यप, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री पी. एस. ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति खैरागढ़ जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3927.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7717 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तखतपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5607 दिनांक 13-10-2014 द्वारा श्री सी. आर. महिलांग, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तखतपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तखतपुर का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सी. आर. महिलांग, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तखतपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति तखतपुर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3929.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/4405 रायपुर, दिनांक 30-09-2013 द्वारा श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5608 दिनांक 13-10-2014 द्वारा श्री आर. के. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एम. के. गुप्ता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री आर. के. वर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.